

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव
पत्रांक १३५६ / १४-१ उन्नाव, दिनांक , ०१-०२- २०२४

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ।

प्रस्ताव सं- FP/UP/Trans/21539/2016

विषय:-

साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रान्समिशन लि. द्वारा ७६५ के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी-उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मैनपुरी में प्रभावित १.५३६४ हेठो संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग व २३८८ वृक्षों के पातन कन्नौज में प्रभावित ०.३२ हेठो संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व ८ वृक्षों के पातन, कानपुर में प्रभावित ०.८१५५ हेठो संरक्षित एवं १.१३९१ हेठो आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं ११३ वृक्षों के पातन तथा उन्नाव में प्रभावित ०.६८१३ हेठो संरक्षित एवं ५.६९२३ हेठो आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व १५०२ वृक्षों के पातन अर्थात कुल १०.१८४६ हेठो वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक ४०११ बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपके कार्यालय की पत्र सं-१६०३ / १४-१०-४ दि-०४.१०.२०२३ तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक-८७३ / ११-सी-एफपी/यूपी/ट्रान्स/२१५३९/२०१६ दि-०२९.०९.२०२३

महोदय,


उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव ऑनलाइन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

S.No.	आपत्तियाँ	निराकरण
1	सी०ए० के प्राक्कलन में सेंटेज चार्ज लिया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः बिना सेंटेज चार्ज के १० वर्षों का अनुरक्षण सहित संशोधित प्राक्कलन धनराशि सहित अपलोड करें।	सोनभद्र वन प्रभाग द्वारा सेंटेज चार्ज हटाकर संशोधित सी०ए० का प्राक्कलन इस कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है, जिसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
2	याचक विभाग तथा प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड नहीं है।	याचक विभाग तथा प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है।
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
4	पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीन पौधों का वृक्षारोपण एवं १० वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन अपलोड है, किन्तु अनुरक्षण के वर्षों में वृद्धि दर समाहित नहीं किया गया है।	पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीन पौधों का वृक्षारोपण एवं १० वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन अनुरक्षण के वर्षों में वृद्धि दर समाहित कर अपलोड कर दिया गया है।
5	ऑनलाइन अपलोड किये गये सेन्चुरी/वन्यजीव विहार से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रस्तावित परियोजना सेन्चुरी/वन्यजीव विहार से १० किमी० की परिधि/ESZ से बाहर स्थित है के सम्बन्ध में संशोधित प्रमाण-पत्र अपलोड कर दिया गया है।	प्रस्तावित परियोजना सेन्चुरी/वन्यजीव विहार से १० किमी० की परिधि/ESZ से बाहर स्थित है के सम्बन्ध में संशोधित प्रमाण-पत्र अपलोड कर दिया गया है।

6	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं है।	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने एवं आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
7	पूर्ण प्रस्ताव की सिंगल पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड नहीं है।	पूर्ण प्रस्ताव की सिंगल पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड कर दी गयी है।
8	कवरिंग लेटर तथा इस कार्यालय द्वारा प्रेषित चेक लिस्ट कॉलम में टिक करके चेक लिस्ट अपलोड नहीं है।	कवरिंग लेटर तथा इस कार्यालय द्वारा प्रेषित चेक लिस्ट कॉलम में टिक करके चेक लिस्ट अपलोड कर दिया गया है।
9	ऑनलाइन के क्रमांक-3 District wise area to be diverted in the division में डाटा फीड नहीं किया गया है।	ऑनलाइन के क्रमांक-3 District wise area to be diverted in the division में डाटा फीड कर दिया गया है।
10	परियोजना में 4058 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, किन्तु ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-4 एवं हार्डकॉपी भाग-2 में हरियाली घनत्व 0.01 फीड है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः सही हरियाली घनत्व ऑनलाइन भाग-2 एवं हार्डकॉपी भाग-2 में अंकित कर अपलोड करें।	परियोजना में प्रभावित मुर्तजानगर वनब्लाक तथा लखनऊ-कानपुर मार्ग किमी0-53-54 का उन्नाव विद्युत उपकेन्द्र समीप तकनीकी कारणोंवश वनभूमि पर स्थापित किए जाने वाले टावरों के स्थान में प्रस्ताव में विगत में दिए गए स्थान में कुछ भिन्नता आ रही थी, जिस कारण याचक विभाग द्वारा पुनः सर्वे का अनुरोध किया गया था। सर्वे उपरान्त मुर्तजानगर वनब्लाक की वनभूमि में 2.10 हेक्टेएर तथा लखनऊ-कानपुर मार्ग किमी0-53-54 में 0.16 हेक्टेएर वनभूमि प्रभावित हो रही है। अर्थात् उन्नाव वन प्रभाग में 5.6923 हेक्टेएर आरक्षित तथा 0.6813 हेक्टेएर संरक्षित कुल 6.3736 हेक्टेएर वनभूमि तथा 1502 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अतः उक्त स्थलों का हरियाली घनत्व 0.01 ही है।
11	एन0पी0वी0 की गणना अपलोड है, किन्तु यदि हरियाली घनत्व संशोधित होता है तो संशोधित हरियाली घनत्व के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना ऑनलाइन अपलोड करें तथा हार्डकॉपी भाग-2 में भी संशोधित एन0पी0वी0 की घनराशि अंकित करें।	हरियाली घनत्व में कोई संशोधन नहीं किया गया है। अतः पूर्व में अपलोड की गयी एन0पी0वी0 गणना सही है।
12	ऑनलाइन के क्रमांक-16 में मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति अपलोड नहीं है।	उक्त आपत्ति मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उठोप्र०, लखनऊ से सम्बन्धित है।

भवदीया,



प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
 उन्नाव

पत्रांक १३८६ / समदिनांक

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उठोप्र०, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- महाप्रबन्धक (पारेषण), साउथ ईस्ट, उठोप्र० पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिंग, लेवाना साइबर हाइट्स बिल्डिंग, पहली मंजिल, ऑफिस स्पेस-116, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
 उन्नाव